

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 83/2022-23

-:आदेश:-

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी । अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक- 442, दिनांक- 03.05.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक मुकेश कुमार महतो, पिता- स्व0 आसु महतो, साकिम- धावाचिता, थाना- राजगंज, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- धावाचिता, मौजा नं0- 199, गत् खाता सं0- 18, गत प्लॉट सं0- 1431, हाल खाता सं0- 10, हाल प्लॉट सं0- 1857, रकबा- 6.25 डिसमील भूमि क्रेता टिकाराम महतो, पिता- बानेश्वर महतो, साकिम- धावाचिता, थाना- राजगंज, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता जाति के कुरमी हैं तथा दोनों एक ही थाना- राजगंज, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 9.26 एकड़ शेष भूमि बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।